3/यो0स०क०-29/2022 83

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या/2026-27)

प्रेषक,

सुशील कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 7.8.2026

विषयः- **वितीय वर्ष 2026-27 में मिशन शक्ति योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (सामर्थ्य) के संचालन हेतु प्राप्त रू. 179.08 लाख (एक करोड उनासी लाख आठ हजार) मात्र के अतिरिक्त राशि की व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5724 दिनांक 27.11.2017 द्वारा राज्य में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं में कुपोषणता को दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। SNA SPARSH MODULE के तहत संचालित सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश की राशि को केन्द्रांश हेतु कंर्णाकित विपत्र कोड में ही उपबंधित कराये जाने का प्रावधान वित विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 410 दिनांक 12.06.2025 द्वारा किया गया है। उक्त के आलोक में वितीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के संचालन हेतु केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश के रूप प्राप्त कुल रू० 2016.85 लाख मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 39 दिनांक 15.04.2026 द्वारा दी गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में राज्यांश मद में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त रू. 179.08 लाख (एक करोड उनासी लाख आठ हजार) मात्र के अतिरिक्त राशि की व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	PFMS Code	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1.	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (सामर्थ्य)	60:40	3975 (BR73)	51-2235021020226	0226.31.06	2016.85	179.08
	योग:- **(एक करोड उनासी लाख आठ हजार)**						**179.08**

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आईसीडीएस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आईसीडीएस निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 12888/वि0 दिनांक-03.12.2024, पत्रांक 410 दिनांक 12.06.2025 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि0 दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026, **926/**वि० दिनांक 31.07.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-29/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या- 28**/टि0** पर दिनांक- 06.08.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-29/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या- 29**/टि0** पर दिनांक-07.08.2026 को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अत: महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

7/8/26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-29/2022/ 83 पटना, दिनांक- 7.8.2026

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/8/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-29/2022/ 83 पटना, दिनांक- 7.8.2026

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/8/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-29/2022/ 83 पटना, दिनांक- 7.8.2026

प्रतिलिपि –विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/8/24

संयुक्त सचिव